न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/27

1. बजरंग लाल आत्मज श्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. श्रीमती कली बाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा पत्नी सिद्धनाि पाटीदार हाल निवासिया सुजालपुर मण्डी पुलिस कॉलोनी के पीछे तहसील सुजालपुर जिला शाजापुर (म0 प्र0) ।
3. श्रीमती उमराबाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा पत्नी फूलचन्द पाटदार निवासी चौरखेडी तहसील पचपहाड जिला झालावाड ।
4. श्रीमती झूमा बाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी पत्नी रामेश्वर पाटीदार निवासी जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र हीरालाल जाति कुल्मी ।
2. राधेश्याम आत्मज हीरालाल जाति कुल्मी ।
3. फूलचन्द आत्मज हीरालाल जाति कुल्मी अकवाम निवासी ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिय तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 54, 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 के एवं निहाल बाई पत्नी स्व0 हीरालाल के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 100 की रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 की रकबा 0.2 हैक्टर, खसरा नम्बर 108 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 की 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर

117 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 की 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 253 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 254 की 1.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 की 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 की 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 413 की 4.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 455 की 0.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 458 की 2.66 हैक्टर कुल 14 किता की 11.61 हैक्टर भूमि स्थित है । वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 6 की माता का दिनांक 17.10.2009 को देहान्त हो गया है । वादी एंव प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण लडाकू एवं झगडालू प्रवृति के हैं तथा वह अवैधानिक रूप से वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी का 1/7 हिस्सा पृथक खाते दर्ज किया जाकर लगान भी पृथक मुकर्रर फरमाया जावे एवं वादी को 1/7 हिस्से पर स्वतंत्र रूप से दखल दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण कम 2, 4, 5 व 6 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2013 एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि न्यायालय में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी कम 2, 4, 5 व 6 के द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया है । प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम मात्र वादी के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के ही विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है जो किसी भी प्रकार से काउन्टर क्लेम पोषनीय नहीं होने से निरस्तनीय है । उक्त काउन्टर क्लेम में वादी के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । प्रतिवादीगण ने जो अनुतोष चाहा है उसमें वादी के खिलाफ कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है । अतः काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण कम 2, 4, 5 व 6 इसी स्टेज पर निरस्त फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.01.2015 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण कम 2,4, 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2, 4, 5 एवं 6 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को इस आधार पर खारिज किया है कि काउन्टर क्लेम वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित नहीं है जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित था कि काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजी ग्राम जगपुरा से ही सम्बन्धित एवं पक्षकारान के पूर्वजों के खाते की एवं वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित पूर्व के रकबे से सम्बन्धित आराजी थी । ग्राम पंचायत ने अवैधानिक रूप से उक्त आराजी में से रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते 60 बीघा 01 बिस्वा आराजी नामान्तरकरण संख्या 09 दिनांक 16.07.60 के जरिये

रेस्पोडेन्ट कम 2 राधेश्याम के खाते दर्ज कर दी ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम वर्णित आराजी का निर्णय रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत दावे में ही होना था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05.01.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार कर काउन्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है । काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजी जगपुरा से ही सम्बन्धित है इस काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजी का निर्णय रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत दावे में ही होना था । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018 (2) पेज 1425 उद्धरत की।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि सीपीसी के आदेश 08 नियम 6 सी में प्रावधान किये गये हैं कि न्यायालय वादी की प्रार्थना पर काउन्टर क्लेम के लिए पृथक से दावा पेश करने का निर्देश दे सकता है । काउन्टर क्लेम पर मूल्यांकन का कोई न्यायशुल्क भी चस्पा नहीं किया गया है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती । सक्षम न्यायालय में रिवीजन की जा सकती है । अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया । हमने उक्त काउन्टर क्लेम का अवलोकन किया । काउन्टर क्लेम में उनके द्वारा यह कथन किया है कि प्रतिवादी कम 2, 4, 5 व 6 के हितों के विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज आराजीयात को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने से सहखातेदार घोषित कर विभाजन कर सभी पक्षकारों के खाते दर्ज किया जावे । बिन्दु संख्या 02 में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी कम 3 के खाते में दर्ज आराजी के लिए प्रतिवादी कम 2, 4, 5 व 6 के पक्ष में डिक्री पारित कर इस आराजी को संयुक्त परिवार की घोषित कर विभाजन किया जावे । इस प्रकार काउन्टर क्लेम प्रतिवादी कम 01 और प्रतिवादी कम 3 के खिलाफ पेश किया है । दावे में काउन्टर क्लेम वादी के खिलाफ पेश किया जा सकता है । एक प्रतिवादी का दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ काउन्टर क्लेम मेन्टेनेबल नहीं है ।

12. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर काउन्टर क्लेम खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 12.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/27

1. बजरंग लाल आत्मज श्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. श्रीमती कली बाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा पत्नी सिद्धनाथि पाटीदार हाल निवासिया सुजालपुर मण्डी पुलिस कॉलोनी के पीछे तहसील सुजालपुर जिला शाजापुर (म0 प्र0) ।
3. श्रीमती उमराबाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा पत्नी फूलचन्द पाटदार निवासी चौरखेडी तहसील पचपहाड जिला झालावाड ।
4. श्रीमती झूमा बाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी पत्नी रामेश्वर पाटीदार निवासी जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र हीरालाल जाति कुल्मी ।
2. राधेश्याम आत्मज हीरालाल जाति कुल्मी ।
3. फूलचन्द आत्मज हीरालाल जाति कुल्मी अकवाम निवासी ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिय तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 15/दावा/2013

बाबूलाल पुत्र हीरालाल जाति कुल्मी निवासी ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
——वादी

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. बजरंग लाल आत्मज श्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. फूलचन्द आत्मज हीरालाल जाति कुल्मी अकवाम निवासी ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. श्रीमती कली बाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा पत्नी सिद्धनाथि पाटीदार हाल निवासिया सुजालपुर मण्डी पुलिस कॉलोनी के पीछे तहसील सुजालपुर जिला शाजापुर (म0 प्र0) ।
5. श्रीमती उमराबाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी निवासी जगपुरा पत्नी फूलचन्द पाटदार निवासी चौरखेडी तहसील पचपहाड जिला झालावाड ।
6. श्रीमती झूमा बाई पुत्री हीरालाल जाति कुल्मी पत्नी रामेश्वर पाटीदार निवासी जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 12.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रसाद नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 12.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

12/4/19

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा